संख्या-416/49-1-2022-53(मिस)/2017

प्रेषक,

बी०एल० मीणा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- मुख्य महाप्रबन्धक,
नाबार्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता विभाग, उ०प्र०
लखनऊ।

3- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 18 अगस्त, 2022

विषयः- प्रदेश में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटराइजेशन की केन्द्र पुरोधानित योजना के क्रियान्वयन हेतु एस0एल0आई0एम0सी0 एवं डी0एल0आई0एम0सी0 का गठन विषयक।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक कृपया सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं०-एल-12013/2/2021-1&P दिनांक 30 जून, 2022 (प्रति संलग्नकों सहित संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं0-एल-12013/2/2021-I&P दिनांक 30 जून, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के कम्प्यूटराइजेशन की केन्द्र पुरोधानित योजना को क्रियान्वित करते हुए प्रदेश में क्रियाशील प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति (पैक्स) के कम्प्यूटराईजेशन के कार्यान्वयन एवं निगरानी हेतु राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समिति गठित किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

3- राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति का कार्य समिति द्वारा अनुमोदित गाइडलाइन्स का क्रियान्वयन एवं राष्ट्रीय स्तर की समिति को फीडबैक उपलब्ध कराया जाना, राज्य में योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्देशन एवं नियंत्रण करना, उक्त योजना हेतु किये गये

प्रस्तावों का परीक्षण एवं अनुशंसा करना तथा राष्ट्रीय स्तर की क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य भी सम्मिलित है। उक्त राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति (एस०एल०आई०एम०सी०) का स्वरूप निम्नवत होगाः-

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन- अध्यक्ष
(2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन- सदस्य
(3) आयुक्त एवं निवन्धक, सहकारिता, उ०प्र०, लखनऊ- सदस्य
(4) मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ- सदस्य
(5) तीन चिन्हित जिला सहकारी बैंक लि० (रोटेशन के अनुसार)
एस०एल०आई०एम०सी० की प्रथम बैठक में चिन्नहित बैंक के प्रतिनिधि- सदस्य
(6) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आई०टी०
एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र0 शासन का प्रतिनिधि
जो विशेष सचिव से अनिम्न स्तर का हो. विशेष आमंत्रित सदस्यगण
मुख्य महाप्रबन्धक, बी०एस०एन०एल० लखनऊ
राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, -
(7) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ- सदस्य सचिव

4- **जिला स्तरीय कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति उक्त योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण प्रणाली का प्रथम सोपान होगी जो योजना की सम्पूर्ण संरचना करेगी। योजना हेतु निर्धारित गाईडलाइन्स के अनुसार उक्त समिति योजना के सुगमता पूर्वक क्रियान्वयन हेतु डी०डी०एम० नाबार्ड की पूर्ण जिम्मेदारी होगी** और सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता द्वारा आवश्यक सुविधायें यथा बिजली, सम्पर्क मार्ग आदि के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही की जायेगी। यह समिति राष्ट्रीय स्तर की क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति/राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य भी करेगी। उक्त जिला स्तरीय कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति (डी०एल०आई०एम०सी०) का स्वरूप निम्नवत होगा:-

(1) जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट- अध्यक्ष
(2) जिला विकास प्रबन्धक, नाबार्ड- सदस्य
(3) डी०आई०ओ०, एन०आई०सी०, सदस्य
(4) जी०एम०/टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (टी०डी०एम०), बी०एस०एन०एल०, सदस्य
(5) सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक/उप आयुक्त एवं उप निबन्धक, सदस्य
सहकारिता विभाग, उ०प्र०।
(6) सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला सहकारी बैंक लि०- सदस्य संयोजक
(7) चयनित प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति (पैक्स) के प्रतिनिधि- सदस्य

जहाँ जिला सहकारी बैंक नहीं हैं, उस जिले में जिला विकास प्रबन्धक, नाबार्ड सदस्य संयोजक होंगे।

5- उक्त गठित समितियों प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति (पैक्स) के कम्प्यूटराईजेशन के संबंध में भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा समय- समय पर निर्गत गाईड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगी।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(बी०एल० मीणा),
प्रमुख सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या-416(1)/49-1-2022-53(मिस)/2017 तद्दिनाक

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को उनके उक्त पत्र दिनांक 30 जून, 2022 के क्रम में।
2- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, (स्वतंत्र प्रभार) सहकारिता विभाग, उ०प्र०, शासन।
3- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
5- अपर मुख्य सचिव, आई०टी०एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ०प्र० शासन।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7- अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक (बैंकिंग), सहकारिता, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से कि उपर्युक्तानुसार प्रत्येक जनपदों में समिति की बैठक तत्काल आहूत करायें तथा पैक्स के कम्प्यूटराईजेशन के सम्बन्ध में भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय नई दिल्ली, द्वारा समय-समय पर निर्गत गाईड लाइन्स के अनुसार प्रकरण में समस्त कार्यवाहियों समयान्तर्गत पूर्ण कराते हुये समस्त जिला विकास प्रबन्धक नाबार्ड, संयुक्त/उप/सहायक आयुक्त एवं संयुक्त/उप/सहायक निबन्धक एवं सी०जी०एम०, नाबार्ड सहित समस्त सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला सहकारी बैंक लि०, उत्तर प्रदेश को अपने स्तर से निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ।
9- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, लखनऊ।
10- मुख्य महाप्रबन्धक, बी०एस०एन०एल०, लखनऊ।
11- समस्त अनुभाग, सहकारिता विभाग, उ०प्र०, शासन।
12- गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(अच्छे लाल सिंह यादव)
विशेष सचिव ।